



(परीक्षार्थी को इस संतान भाग जाना चाहिए)

राजस्थानीक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर

उच्च माध्यमिक परीक्षा



Candidate's Roll No. In English

(In Figures)

--	--	--	--	--

(In Words) _____

परीक्षार्थी का नामांक हिन्दी में
शब्दों में _____

नोट — परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांक नहीं लिखें।

माध्यम — हिन्दी अंग्रेजी

विषय व्यापार अध्ययन (Business studies)

परीक्षा का दिन

दिनांक

नोट — परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित हैं। जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें व पालना अवश्य करें।

परीक्षक हेतु निर्देश — (1) परीक्षक को उपरोक्त सारणी अनुनाद प्राप्तक भरना अनिवार्य है, अन्यथा नियमानुसार दफ्तर किया जायगा।

(2) परीक्षक उत्तर पुस्तिका के अन्दर के पृष्ठों के बाया ओर नियमानुसार छोलमें में लाल इक से अक प्रदत्त करें।

(3) कुल योग भिन्न में प्राप्त होने पर उसे पूर्णांक में ही परखाते ही अकेत करें (उदारणांक 15 1/4 को 16, 17 1/2 को 18, 19 3/4 को 20)

प्रश्नवार प्राप्तांकों की सारणी
(परीक्षक के उपयोग हेतु)

प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक	प्रश्नों की क्रम संख्या	प्राप्तांक
1		19	
2		20	
3		21	
4		22	
5		23	
6		24	
7		25	
8		26	
9		27	
10		28	
11		29	
12		30	
13		31	
14		योग	
15			प्राप्त अंकों का कुल योग (Round off)
16			प्राप्त में से शब्दों में
17			
18			

प्राप्तक अंकों का कुल योग

नामक लाल

--	--	--

प्रमाणित किया जाता है कि इस उत्तर पुस्तिका का नियम 58 से एस एम क्रोम्बोर काम ने है और योग में लिया गया है। 164/2018

१०२८

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

1. समस्त प्रश्नों का हल निर्धारित शब्द सीमा में इसी उत्तर पुरितका में करना है। विशेष परिस्थिति में अतिरिक्त उत्तर पुरितका पृथक से उत्तर पुरितका भरी हुई होने पर पर्यवेक्षक एवं वीक्षक की अनुशासा पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।
2. प्रश्न-पत्र पर निर्धारित स्थान पर अपना नामांक लिखें।
3. प्रश्न-पत्र हल करने के पश्चात् जिस पृष्ठ पर हल समाप्त होता है, उस पर अन्त में "समाप्त" लिखकर अन्त के सभी रिक्त पृष्ठों को तिरछी लाइन से काटें।
4. निम्न बातों का विशेष ध्यान रखें अन्यथा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम के तहत कार्यवाही की जा सकेगी।
 - (i) उत्तर पुरितका के ऊपर/अन्दर तथा प्रश्नोत्तर के किसी भी भाग में चाहीं गई सूचना के अलावा अपना नामांक, नाम, पता, फोन नम्बर अथवा पहचान की कोई अन्य प्रकार की सूचना आदि अंकित नहीं करें अन्यथा "अनुचित साधनों के प्रयोग" के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।
 - (ii) उत्तर पुरितका के पृष्ठों को फाँड़े नहीं। उत्तर-पुरितका के मुख पृष्ठ पर अंकित संख्या के अनुसार पृष्ठ पूरे होने चाहिये। परीक्षार्थी उत्तरपुरितका प्राप्त करते ही पृष्ठ संख्या की जांच कर लें यदि पृष्ठ कम/अधिक या क्रम में नहीं हैं तो वीक्षक से तुरन्त वदलवा लें।
 - (iii) परीक्षा केन्द्रों पर पुरतक, लेख, कागज, केलव्यूलेटर, मोवाईल, पेजर आदि किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण तथा किसी भी प्रकार का हथियार आदि ले जाना निषेध है।
 - (iv) बस्त्र, रक्केल, ज्योमेट्री बॉक्स पर कुछ न लिखकर लावें। टेबुल के आस-पास कोई अवैध सामग्री नहीं होनी चाहिये, इसकी जांच कर लें।
 - (v) अपनी उत्तर पुरितका/ग्राफ/मानचित्र आदि परीक्षा भवन से बाहर ले जाना दण्डनीय अपराध है, अतः परीक्षा समाप्ति पर उत्तर पुरितका वीक्षक को विना सौंपे परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ें।
5. उत्तरों को क्रमानुसार एक ही स्थान पर लिखें। प्रश्न क्रमांक भी सही अंकित करें, अन्यथा दण्ड स्वरूप परीक्षक को 1. अंक कम करने का अधिकार है। वीच में उत्तर पुरितका के पृष्ठ रिक्त न छोड़ें। गणित विषय के लिए रफ कार्य उत्तर पुरितका के अंतिम पृष्ठों पर करें तथा तिरछी रेखा से काटें।
6. जहाँ तक हो सके प्रश्न के सभी भाग के उत्तर, उत्तर पुरितका में एक ही स्थान पर अंकित करें।
7. भाषा विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों के प्रश्न-पत्र हिन्दी-अंग्रेजी दोनों भाषा में मुद्रित हैं। किसी भी प्रकार की त्रुटि/अन्तर/विरोधाभास होने पर हिन्दी भाषा के प्रश्न को ही सही माना जाये।



प्र०५ - अ

1. उद्देश्यों हारा प्रबंध के प्रतिपादक पीटर छफ. इकर है।
2. प्रबंध का सामाजिक उद्देश्य है कि वह समाज की दृष्टिभूसार उपादन करके उसे गुणवत्तापूर्ण व सही कीमत पर बेस्तु उपलब्ध करवाये।
3. अनुबंध में प्रतिफल का आशय 'कुछ के बदले कुछ' से है अर्थात् वचनदाता के वचन के बदले वचनसहीता हारा चुकाया गया मूल्य।
4. किसी भी वैध अनुबंध जो कि राजनियम हारा प्रवर्तनीय है, उसमें प्रतिफल भी वैध अर्थात् कानूनी हृषि से मान्य होना आवश्यक है। यदि प्रतिफल ही अवैध है तो अनुबंध वैध नहीं हो सकता।
5. उद्यमिता की विशेषताएँ:
जोखिमपूर्ण क्रिया:
→ इस प्रक्रिया में उद्यमी अनेक सकार की जोखिमों को उठाकर व्यवसाय चालू करता है। नये उत्पाद का बाजारों में प्रवेश, गुरुदय निष्ठारिण, नवाचार, ग्राहकों की स्वचि, चैशन आदि की जोखिम उभाता है।
6. उद्यमिता के माछ्यम से देश में शैजगारों का सूजन, मालूमिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है तथा उद्यमिता से देश में पूँजी नियमण की बढ़ावा मिलता है।



प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना - 2015.

7.

अल्प बीमा :-

जब किसी लंपति का बीमा उसके मूल्य से कम सुल्य पर कर्तव्या जाता है तो वह अल्प बीमा कहलाता है।

8.

भारत में सेवा कर - 1 जुलाई, 1994.

9.

सर्विसियम भारत में विकृथ कर - संषयप्रदेश, 1938 में।

छोट-बड़ू

BSURK 162/2018

10.

प्रबंध की सुचनात्मक भूमिका :-

(i) प्रबंधक :-

इस भूमिका के रूप में एक प्रबंधक संस्था के विभिन्न स्त्रीतों से आवश्यक सूचना छुपति करता है ताकि संस्था के लिए आवश्यक नीतियों का निर्माण किया जा सके।

(ii) प्रवक्ता :-

इस भूमिका के रूप में प्रबंधक अपनी संस्था की नीतियाँ, कार्यक्रम, उद्देश्य आदि जानकारी को सरकार तथा लोगों व संबंधित लोगों को बताता है। पक्षा



क्र. संख्या	प्रश्न संख्या	परीक्षार्थी उत्तर
12.		पैशेवद प्रबंध की विशेषताएँ :-
		(i) व्यक्तिगत स्कैचणाचारिता के स्थान पर टीम आवना पर बल। (ii) परिवर्तनी होने तैयार रहना व पैशेवद ज्ञान व तकनीक के प्रति पूर्ण समर्पित होना।
13.		क्य बिंदु विज्ञापन :- यह विज्ञापन का ऐसा माध्यम है जिसमें दुकानदार, दुकान की वातावरण या अलगावी तथा काउंटर आहि की सजावट करते हैं ताकि राह चलता व्याहक उन सजी-धजी, आकर्षक वस्तुओं को देखकर उसे खरीदने के लिए प्रेरित हो। सामान्यतः कपड़े, सिलींवां आदि व्यापारों में इस तकनीक को काम लिया जाता है। काउंटर पर सजी वस्तुओं की समय-समय पर बदलते रहना चाहिए।
14.	(i)	निष्पादित अनुबंध :- ऐसा अनुबंध जिसके अधीन पक्षकारों ने अपने-अपने दायित्वों को पूरा कर लिया है, निष्पादित अनुबंध कहलाता है। जैसे - राधा, कामिनी को काट के बदले एक छुटकारे का अनुबंध करती है। कामिनी ने राधा को काट दी तथा राधा ने उसे छुटकारे दिया।
	(ii)	निष्पादनीय अनुबंध :- ऐसा अनुबंध जिसके अधीन पक्षकारों को अपने-अपने दायित्वों को पूरा करना बाकी है। जैसे- मोहिनी अभीना की जीसे 50,000 में खरीदने का अनुबंध करती है। ना ही तो अभीना ने अभी तक जीसे मोहिनी को दी व ना ही मोहिनी ने



उसे ऐसे बिंचे।

15. कपटपूर्ण मिथ्यावणि :-

जब अनुबंध का एक पक्षकाट किसी दूसरे पक्षकाट को जानबूझकर अनुबंध के महत्वपूर्ण तथ्यों का मिथ्या वर्णन करे ताकि धीमे के हारा अनुबंध किया जा सके तो उसे अनुबंध कपटपूर्ण मिथ्यावणि माना जाता है।

जैसे:- इशिका, चाहिका को एक पोशाक 15,000 रु. 99 का अनुबंध कर लेती है जबकि वह पोशाक चौरी की हुई है तथा उक्ती भी है तो इशिका द्वारा यह कपटपूर्ण मिथ्यावणि माना जाएगा।

16. हैं, उद्यगिता एक अवसर औरों की प्रक्रिया है जिसे निम्न मकाट से संष्ट किया जा सकता है:-

अवसर औरों की सक्रिया :-

उद्यगिता में उचित अवसरों, लोगों की रवचि, आवश्यकता, फैशन, प्राथगिकताओं आदि का पता लगाया जाता है जिसके अनुसार ही उपकरण का संचालन किया जाता है।

जैसे:- किसी स्थानीय क्षेत्र में जाने हेतु होटल बही हूँ तो उस क्षेत्र में टिफिन सेंटर खोलकर लोगों की आवश्यकता को संतुष्ट करना।

इस प्रकार उद्यगिता जनसमूह की आवश्यकता को औरकर उसकी पुर्ति में योगदान देती है।

परीक्षार्थी उत्तर

17.

हों, हम इस कथन से निकल आगाए पर सहमत हैः-

बीमा सुरक्षा प्रदान करता हैः-

→ बीमा, अधिक हानियों के विस्तृत सुरक्षा प्रदान करने वाली युक्ति है। बीमा के हाश ल्यास्ति प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली घन संबंधी हानि के विटवड सुरक्षा प्राप्त है। जीवन बीमा जो व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा, अभिन्न बीमा में संपत्ति को होने वाले नुकसान से सुरक्षा, समृद्धि बीमा में जहाज, गाल, भाड़ा आदि को हुये नुकसान से सुरक्षा तथा अन्य शी विविध प्रकार के बीमों में अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है।

इस प्रकार की सुरक्षा प्राप्त होने के बाद व्यक्ति के विश्वास तथा उसकी कार्यक्षमता में बहुत होती है।

18.

वस्तु व सेवा कर (Goods & Service Tax) की विशेषताएँ:-

(i) इसकर प्रणाली में करों की पढ़े निर्धारित हैः-

- (a) सामान्य वस्तुओं के लिए गैरिट दर।
- (b) आवश्यक वस्तुओं के लिए प्रमापित दर।
- (c) कीमती थानु आदि के लिए विशेष दर।
- (d) शृंखला दर।

(ii) राज्य के अन्तर जाल के क्षय-विक्षय पर CGST (केंद्रीय वस्तु व सेवा कर) तथा SGST (राज्य वस्तु व सेवा कर) दोनों की वसूली होगी तथा राज्य के बाहर गाल के क्षय-विक्षय करने पर IGST (अंतर्राज्यी वस्तु व सेवा कर) जो केंद्र सरकार द्वारा वसूला जाएगा।

P.T.O.



[खण्ड - सू]

19. (i) आदेश की उक्ता :-

यह सिद्धांत छल तथ्य या विचार पर जो ए देता है कि एक संगठन में एक कर्मचारी की एक निश्चित समयावधि में एक ही उच्चाधिकारी से आदेश प्राप्त हो। अबैक उच्चाधिकारियों से एक साथ आदेश प्राप्त होने पर कर्मचारी भूमित हो जाता है तथा किसी भी कार्य को उचित ढंग से संपन्न नहीं कर पायेगा। इससे संगठन में अव्यक्ति कैलंगी। फेयोल के अनुसार, यदि इस सिद्धांत की अवहेलना की जाती है तो संगठन में परस्पर रक्राव, संघर्ष, हितों की जिन्नता, अविश्वास आदि स्थितियाँ पैदा होगी।

(ii) निर्देश की उक्ता :-

फेयोल के इस सिद्धांत के अंतर्गत यह विचार है कि संगठन की वे सभी क्रियाएँ जिनका उद्देश्य एक समान हो एक ही आधिकारी व योजना के अंतर्गत रखी जानी चाहिए। यह सिद्धांत क्रियाओं के वर्णकरण व समूहीकरण से संबंधित है। यह आदेश की उक्ता से भिन्न है। आदेश की उक्ता व्यक्ति के संगठनात्मक लक्ष्यों को परिलक्षित करती है जबकि यह सिद्धांत क्रियाओं का समूहीकरण करता है।

फेयोल ने निर्देश की उक्ता के लिए हास्यास्पद ढंग से कहा है कि "दो सिर वाला बारीट मानव जागत व पशु जगत में राक्षस माना जाता है।"



20.

अधिकृत प्रयोग की X विचारधारा की मान्याई :-

यह विचारधारा

कर्मचारियों के सति नकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है :-

(i) कर्मचारी का आलसी होना :-

सामान्यतः एक कर्मचारी स्वभाव से आलसी माना जाता है तथा वह कार्य नहीं करना चाहता। वह काम के बजाय आराम को प्राथमिकता देता है तथा कार्य से जी चुराता है।

(ii) कर्मचारी का महत्वाकांक्षी न होना :-

कर्मचारी में संस्था के अच्छे के सति तथा वया कार्य करने के सति नकारात्मक दृष्टिकोण होता है, वह किसी भी प्रकार की सृजनात्मकता का धनी नहीं होता।

(iii) परिवर्तनों का विरोध करना :-

इस विचारधारा में शामिल कर्मचारी जीवी लकड़ीक, जीवे छोध, आधुनिक युग में होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करने की बजाय उनका विरोध करते हैं।

(iv) दंड, प्रताङ्गना आदि से नियंत्रित :-

इन नकारात्मक दृष्टिकोण वाले कर्मचारियों को नियंत्रित करने हेतु या इनमें भय पैदा करने हेतु दंड, प्रताङ्गना आदि का सहारा लिया जाता है तथा ये कर्मचारी केवल अर्थ हेतु कार्य करते हैं।
(धन)



21.

अभिप्रेणा का महत्व :-

(i) कार्य संतुष्टि में अधिकृष्टि :-

किसी भी संगठन में कार्यकृत कर्मचारी को उचित प्रकार से अभिप्रेरित करने (वित्तीय या गैर-वित्तीय तकनीक द्वारा) के उपरान्त उसके मान में अधिक कार्य करने के प्रति उत्साह उत्पन्न होता है ब्यांकि वह अपने संगठन व कार्य द्वारों से संतुष्ट हो जाता है। तब उसका इयेय संगठन में लाभों में वृद्धि करना, उत्पादकता बढ़ाना व संस्था को सफलता की ओर अग्रसर करना होता है।

साथ ही, एक कर्मचारी अपने लाभों की तुलना संगठन के ही अन्य कर्मचारियों से करता है तथा लाभ अपेक्षाकृत अधिक होने पर वह अधिक संतुष्ट हो जाता है।

(ii) अच्छे अम संबंधों का निमित्त :-

सामाजिक एक संगठन में यह मानकर चला जाता है कि कर्मचारी भी एक मजुम्य है तथा इसी वृष्टिकोण से उसके साथ भी मानवीय व्यवहार किया जाना चाहिए। अभिप्रेणा इसी विचार का अनुसारण करती है। एक प्रबंधक को संस्था के कर्मचारियों का पूर्ण सहयोग, कर्मचारी को केवल कार्य स्थल पर ही नहीं अपने उसके परिवार आदि को सहायता प्रदान करे।

एक कर्मचारी को अभिप्रेरित करने पर वह प्रबंधक व संस्था के प्रति निष्पवान होता है व पूर्ण मनोयोग से कार्य करता है।



सरकार के सति प्रबंधक के दायित्व :-

(i) कर्मों का पुण्य भुगतान :-

→ अंस्था की आपने कर्मों गये लाभों का पुण्य विवरण सरकार को देना चाहिए ताकि उस पर नियमानुसार निश्चित कर चुकाकर सरकार के कार्यों में प्रत्यक्ष योगदान दिया जा सके।

(ii) सरकारी नीतियों के हित्यान्वयन में सहायक :-

→ सरकार द्वारा चलाये जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम, आर्थिक नीतियों, योजनाओं को लागू करने में सरकार का पुण्य औ सहयोग करना प्रबंधक का उत्तरवायित्व है।

(iii) सरकारी प्रक्रिया को अष्ट न करना :-

→ सरकार द्वारा देश के विकास हेतु चलाई गयी प्रक्रिया आदि को अष्ट नहीं करना, एक प्रबंधक का उत्तरवायित्व होता है। प्रबंधक को सरकार के सहयोग के रूप में उभरना चाहिए।

(iv) सरकारी विधमों का पालन करना :-

→ सरकार द्वारा व्यावसायिक तथा अव्यक्तिगत में बनाये गये नियमों व कानूनों का पालन एक प्रबंधक को करना चाहिए तथा देश के भगुचित विकास का लक्ष्य पूरा हो सके।

P.T.O.



अंगूष्ठानुबंध के मकाएः

23.

(i) पागल या किसी अवश्यक व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति करना:

जब कोई भी पक्षकार किसी पागल या अवश्यक की आवारमूत आवश्यकताओं (रोटी, कपड़ा, मकान) की पूर्ति करता है तो वह पक्षकार, अयोग्य पक्षकार की संपत्तियों में से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है। जैसे:- अमन उक पागल व्यक्ति है। उसका पड़ोसी

दिनेश उसी सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है तो दिनेश, अमन की संपत्तियों से भुगतान पाने का अधिकारी है।

(ii). अव्य पक्षकार की तरफ से स्वयं द्वारा किया भुगतान पाना:

जब अनुबंध का उक पक्षकार जो संबंधित भुगतान करने के लिए वैद्यानिक रूप से उत्तरदायी नहीं था, लेकिन विधा से बचने के लिए भुगतान कर देता है तो वह इससे पक्षकार से भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है।

(iii) जैसे:- X ने P को पड़ते पर जमीन दे रखी है। सरकार N को जमीन का लगाव चुकाने को कहा। परन्तु वह चुका नहीं पाया। P ने आजीविका संकर में दस्तक देकर सरकार को लगान चुका दिया तो वह इस राशि (लगान) को X से पाने का अधिकारी है।



24.

परीक्षार्थी उत्तर

उद्यमिता का महत्व :-

(i) पुंजी निर्माण को सौन्दर्याहन :-

उद्यमिता के अंतर्गत एक उद्यमी व्यावसाय के रथापना के लिए जनसामान्य से पुंजी उकतित करने के लिए अंशपत्र, त्रैणपत्र आदि का निर्गमन करता है तथा जनता को विनियोग करने के लिए प्रेरित है करता है। इस प्रकार विनियोग की प्रवृत्ति बढ़ने से देश में बचत भी बढ़ती है। लगातार बचतों के बढ़ने से देश में पुंजी निर्माण की भी सौन्दर्याहन निलता है।

(ii) संतुलित आर्थिक विकास :-

देश के संतुलित आर्थिक विकास में उद्यमिता का बहुत अधिक महत्व है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों द्वारा उद्यमियों को उन क्षेत्रों में व्यापार करने हेतु सौन्दर्याहित किया जाता है जो क्षेत्र पूर्णतः व्यावसायिक हृष्टि से पिछड़े हैं। उद्यमी इस प्रकार के अविकसित क्षेत्रों में व्यापार प्रारंभ करता है तथा देश के विकास में अपना योगदान देता है।

25. अग्नि बीमा :-

बीमा के क्षेत्र व प्रकार के आधार पर वर्गीकृत बीमा का एक मुख्य प्रकार है। यह एक प्रकार का क्षतिपूर्ति का बीमा है जिसमें केवल वास्तविक हानि की क्षतिपूर्ति की जाती है। आधुनिक व्यावसायिक क्षेत्रों में बढ़ते जीविम, अग्निश्चितता, संपत्ति की हानि, बड़े-बड़े मरीजों व



परीक्षार्थी उत्तर

उत्पादक संयंत्रों को हीने वाली हानि की जांचिम से बचने के लिए अग्नि बीमा का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया है। इसके साथ ही धौलु क्षेत्रों में कीभती संपति के नुकसान से हीने वाली हानि से सुरक्षा के लिए यह एक उपयुक्त बीमा है। इसमें संपति की आग लगने से हीने वाली जो हानि का बीमा करवाया जाता है। आधुनिक क्षेत्र में अग्नि से हीने वाले नुकसान के साथ-साथ विस्फोट, ढंगों, उपहवों आदि से संपति को हीने वाले नुकसान के प्रति आश्वासित हुआ जाता है। संपति को नुकसान हीने पर बीमाकर्ता पूर्ण जाँच आदि करने के पश्चात ही केवल वास्तविक हानि की जातिपूर्ति करता है तथा बीमित की इसके लिए निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है। यह 1 वर्षीय बीमा है।

HESR/93/2018

26. ग्राहकों के प्रति 4 सामाजिक दायित्व :-

(i) उचित मूल्य पर वितरण :-

प्रबंधक को समाज को सभी वरतुड़े उचित मूल्य पर उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि वे अधिक सरीद हेतु प्रोत्साहित हो तथा उच्च जीवन जी सके।

(ii) कालाबाजारी, जमांखोरी का अभाव :-

प्रबंधक को संख्या में वस्तुओं की कृतिम कमी करके मूल्य उच्च करना आदि सभी ग्रीष्म-कानूनी कार्यों का सहारा नहीं लेना चाहिए।



(iii) गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध करवाना :-

→ ग्राहकों के अच्छे जीवन स्तर के विचार को ध्यान रखते हुए अच्छे व गुणवत्तापूर्ण उत्पादों का निर्माण करना चाहिए जो उनके स्वास्थ्य के अनुकूल हो।

(iv) विक्रयोपरांत सेवा प्रदान करना :-

→ मध्यमिकों को ग्राहकों को विक्रय के बाद अनेक सेवाएँ जैसे - वस्तु धार पहुंचाना, मरम्मत सेवाएँ, साख सुविधा आदि भी उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि ग्राहकों का कल्याण हो सके।

27. (i) बिक्री का विवरण (धारा 25) :-

→ जीफस्टी के अंतर्गत व्यापारियों को सतिमाह रिटर्न भारना पड़ेगा। इस विवरणी के अंतर्गत माह के दीरान की गई बिक्री, नियति, विक्रिता का नाम, निधि, मूल्य, गुणवत्ता, आवश्यक क्रेडिट नोट, डेबिट नोट आदि को सूचनाएँ रूप में माह की समाप्ति के 10 दिन के भीतर भरकर पेश करना अनिवार्य है।

इस बिक्री के विवरण का मिलान धारा 26 में खरीदार धारा संस्तुत खरीद विवरण से गैर किया जाएगा तथा मिसमैच और पर व्यापारी को सूचित कर सुधार का मौका दिया जायेगा।

(ii) खरीद का विवरण (धारा 26) :-

→ इस विवरण के अंतर्गत माह के दीरान की गई कुल खरीद, मात्रा, मूल्य, गुणवत्ता, क्रेडिट



का नाम, विवरण, आयात, आवश्यक डॉबिट व क्रेडिट नोट आदि को सूचना के रूप में माह की समाप्ति से 15 दिन के भीतर जमा करना अनिवार्य होगा।

इस स्थान के विवरण का मिलान विहृत द्वारा प्रस्तुत विकास के विवरण (द्वारा 25) से किया जाएगा तथा किसी भी स्कार का मिस जीव होने पर व्यापारी को सुनिश्चित कर भुधार का मौका दिया जाएगा।

ख05-द

28. एक प्रबंधक की नियायालयिक सुमिका :-

(i) उद्धमी :-

एक उद्धमी के रूप में प्रबंधक, संगठन में अवसरों को खोजता है, नवाचार करता है, जोधिम उठाता है, अनेक सकार के उत्पादों का चुल्य निषिरण करके उसे बाजार में प्रस्तुत करने का साहस करता है तथा संस्था को गतिशील बनाता है व उसका सफल संचालन करता है।

(ii) उपद्रव निपारक :-

प्रबंधक, संस्था में होने वाले दिन-प्रतिदिन के झगड़ों, मनमुदावों, संघर्षों, भ्रष्टाचार आदि को दूर करने का प्रयत्न करता है तथा संगठन में शांति तथा सीहार्द के वातावरण को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है।



(१००) संसाधन वितरक :-

एक प्रबंधक, संसाधन वितरक के रूप में उक संस्था में मानवीय तथा औतिक दोनों प्रकार के संसाधनों का वितरण करता है। चूंकि उक संगठन में मानवीय संस्थ संसाधनों द्वारा ही औतिक संसाधनों का संचालन होता है।

एक प्रबंधक मानवीय संसाधनों को उनकी कार्यक्षमता व औग्यता के अनुरूप अनेक से कार्य सींप देता है तथा पुंजी, कच्चा माल, मशीनों, बड़े-बड़े संयंत्रों आदि भी उचित प्रकार से बंटवारा कर देता है।

इस प्रकार एक संसाधन वितरक की शुभिका के रूप में वह मानवीय व औतिक दोनों प्रकार के संसाधनों का भासंजस्य बैठता है।

(१८) वातकार :-

एक प्रबंधक, वातकार की शुभिका के रूप में व्यवसाय के अव्य अहयोगी पक्षकारों के साथ अपना संबंध स्थापित करता है। संगठन की नीतियों व उद्देश्य, कार्यक्रम उन पक्षों के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा उन पक्षों की नीतियों, कार्यक्रमों आदि का ज्ञान प्राप्त करके संस्था को हर प्रकार से जाग्रित करने का प्रयत्न करता है।

इस प्रकार वातकार बनकर प्रबंधक, संस्था का सफल संचालन करता है तथा संस्था में बहुत ढंग से उत्पादन प्रक्रिया चलाता है।

P.T.O.



प्र०
संख्या
30.

परीक्षार्थी उत्तर

परीक्षाक
प्रदत्त

व्यर्थ ठहराव संबंधी 6 वैश्वानिक प्रावधान :-

(i) अयोग्य पक्षकारी के साथ ठहराव :-

अनुबंध करने के अयोग्य पक्षकार जैसे - अवयष्टक, अस्वस्थ मस्तिष्क वाला व्यक्ति, राजनियम द्वारा अयोग्य घोषित व्यक्ति के साथ किया गया ठहराव पूर्णतः व्यर्थ है।

(ii) स्वतंत्र सहमति न होने पर :-

अनुबंध के एक पक्षकार द्वारा अनुबंध करने के लिए उत्पीड़न, लंपट, मिथ्यावणि, अनुचित प्रभाव, गलती आदि का सहारा लेकर किया जाने वाला ठहराव पूर्णतः व्यर्थ है।

जैसे :- राम, राकेश को धमकी देता है कि वह उसे 50,000 रुपए अच्छाया बह उसे छत से फेंक देगा।

(iii) व्यवसाय के संचालन में स्वकावट डालने वाले ठहराव :-

में प्रत्येक व्यक्ति को अपना स्वतंत्र रूप से व्यवसाय चलाने का अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के व्यापार में बाधा या स्वकावट डालने का कोई ठहराव करता है तो वह ठहराव पूर्णतः व्यर्थ ठहराव माना जाएगा।



(iv) अवधिस्क को छोड़कर किसी भी व्यक्ति के विवाह में शक्तावत डालने वाले ठहराव :-

आखत में प्रत्येक वयस्क व्यक्ति को अपनी इच्छानुसार विवाह करने का अधिकार है। यदि कोई भी व्यक्ति वयस्क के विवाह में शक्तावत डालने का ठहराव करता है तो ठहराव व्यर्थ माना जाएगा।

(v) जब ठहराव किसी असमंजस घटना पर निश्चिर हो :-

जब ठहराव किसी ऐसे तथ्य पर निश्चिर हो जो वास्तविकता से विभिन्न हो अथवा असमंजस हो तो ठहराव व्यर्थ माना जाएगा।
जैसे:- शोषण, दोषकार को बचन देता है कि वह निशुल्क शादी करेगा। जबकि कुछ दिनों पहले ही निशुल्क की मूल्य हो गई।

(vi) बाजी के ठहराव :-

बाजी के ठहराव ऐसे ठहराव होते हैं जिसमें कि एक पक्षकार को लाभ तथा दूसरे पक्षकार को हानि होती है। जैसे - जुआ, बट्टला आदि। इस प्रकार के ठहरावों को जनहित की दृष्टि से अनुचित मानकर पूर्णतः व्यर्थ घोषित किया गया है।

कुछ ठहराव जो बाजी के ठहराव लगते हैं जैसे - धुइदीड़, चिटफंड, बीमा अनुबंध आदि। परंतु ये अनुबंध अधिनियम में वैध माने गये हैं।

P.T.O.



29.

विज्ञापन की आवश्यकता :-

→ वर्तमान, गला-काट प्रतिस्पद्धि के युग में एक उत्पाद का मञ्चन जमाने के लिए विज्ञापन बहुत अधिक आवश्यक है। इसके माध्यम से ग्राहकों को उत्पाद की पूर्णता जानकारी उपलब्ध करवायी जाती है।

(i) नये उत्पाद की जानकारी :-

→ विज्ञापन के द्वारा एक उत्पाद के किसी नयी वस्तु का उपयोग करने पर उसकी पूर्णता जानकारी ग्राहकों को उपलब्ध करवायी जाती है। ग्राहकों को सुनित किया जाता है कि उक्त उत्पाद की प्रयोग करने से क्या-क्या लाभ है, इसका उपयोग कैसे किया जाएगा, किस-किस स्थानों से वस्तु को प्राप्त किया जा सकता है आदि विश्वस्त जानकारी उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवायी जाती है।

(ii) उत्पादन में नवीनता की जानकारी :-

→ किसी भी उत्पाद का उंग, मूल्य, पैकेट आदि में परिवर्तन किये जाने पर ग्राहकों को विज्ञापन के माध्यम से ही इस नवीनता की जानकारी दी जाती है तथा साथ ही उपभोक्ता को वस्तु की मात्रा आदि में किये गये परिवर्तन को भी बताया जाता है। इससे ग्राहक वस्तु को अरीदते समय बीमार नहीं होता। उदाहरण स्वरूप, अंकल चिप्स के पैकेट में 20% की छूटि करना, डायना साबुन के फ्लैकर में परिवर्तन करना आदि।



(iii) मूलय में परिवर्तन की जानकारी :-

वस्तु को उत्पादित करने में लागतों में हुये परिवर्तनों के कारण वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन की जानकारी ग्राहक को विज्ञापन के माध्यम से ही उपलब्ध करवायी जाती है ताकि उत्पाद खरीदते समय ग्राहक शुभित न हो।

- ० जैसे:- कैथर प्रैंड लवली की पैकिंग अब ७५२ से छाटकर भात ७० से उपलब्ध।

(iv) उत्पाद की जानकारी :-

वर्तमान में एक ही स्टॉक की वस्तु के अनेक ब्रांड प्रचलन में हैं जिन्हें देखकर उपभोक्ता शुभित हो सकता है लेकिन विज्ञापन में ग्राहकों को उत्पाद के विभिन्न विभिन्न उपयोग, अनेक ब्रांडों के अंतर को भी समझाया जाता है।

- ० जैसे:- विज्ञापनों में यह कहाया जाता है कि छुटी वस्तु के लिए डिस्कॉंट, उनी वस्तु के लिए यह डिस्कॉंट उपयुक्त रहेगा।

इस स्टॉक की जानकारी देने से उपभोक्ता विश्वासपूर्वक उपयोगी उत्पादों को खरीद सकता है।

निष्कर्ष:-

इस स्टॉक अनेक प्रतिलिपियाँ तथा उक्समान उत्पादों के द्वारा जैसे ग्राहक तथा उपभोक्ता वर्ग दोनों के कल्याण के लिए विज्ञापन आवश्यक हैं।

समाप्त

